पत्रांक -सं0सं0-02/उ0नि0/विविध/बी0आई0ए0/14-15/2014...........

बिहार सरकार

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक ....

विषयः- **राज्य में इनक्यूवेशन सेंटर की स्थापना हेतु बिहार उद्योग संघ (Bihar Industries Association) को द्वितीय किस्त के रूप में रू0 28.00 लाख (अठाईस लाख रूपए मात्र) के अनुदान की राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।**

आदेशः- स्वीकृत।

राज्य में इनक्यूवेशन सेंटर की स्थापना हेतु बिहार उद्योग संघ (Bihar Industries Association) को स्वीकृत अनुदान **रू0** 153.00 लाख के विरूद्ध विभागीय राज्यादेश ज्ञापांक-3667, दिनांक-09.09.2015 के द्वारा प्रथम किस्त के रूप में **रू0** 41.00 लाख की राशि संबंधित संस्था को उपलब्ध कराई गई थी। उक्त क्रम में बिहार उद्योग संघ (Bihar Industries Association) को इनक्यूवेशन सेंटर की स्थापना हेतु द्वितिय किस्त के रूप में आवर्ती व्यय हेतु 28.00**लाख (अठाईस लाख रूपए मात्र) की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

2. राशि का व्यय एग्रीमेंट में निहित शर्तो के अनुसार नहीं रहने तथा किसी प्रकार का विचलन किए जाने पर संबंधित संस्था को भुगतान की गयी राशि ब्याज सहित उद्योग विभाग को वापस करना होगा। व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

3. उक्त राशि का व्यय वहन वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औधोगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0135- इन्टरप्रेनियोर्स डेभलपमेंट योजना की स्थापना विपत्र कोड-23-2852801020135 विषय शीर्ष-0135.31.06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित एवं आवंटित राशि से विकलित होगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो राशि की निकासी कर उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के निदेशानुसार संबंधित संस्था को भुगतान करेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

5. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

6. इस राशि की अग्रिम निकासी कोषागार फार्म संख्या 26 पर की जाएगी।

7. इस राशि का भुगतान **M/S Bihar Industries Association, Patna** को **डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/NEFT** के माध्यम से की जाएगी।

8. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचि[illegible] सं0–02/उ0नि0/विविध/बी0आई0ए0/14–15–2014 के पृष्ठ...../टि0 पर प्राप्त है।

9. वित विभागीय पत्रांक–7355/वि0(2), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.............. पटना, दिनांक.............

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1262 पटना, दिनांक 26.9.18

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंधक निदेशक, बियाडा, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, तक0 विकास, बिहार, पटना/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदा0, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/संयुक्त उद्योग निदेशक (बजट), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/अध्यक्ष बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03, एवं प्रशाखा–05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा–01 (सरकार)/ आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Diwakar-02